बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : bsea.bihar.gov.in, ई-मेल: bseapatna@gmail.com

पत्रांक : नि० प्रा०/ नि 01-03/2020 खण्ड-I 530 /पटना, दिनांक 03/03/2021

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना,
निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना,
सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार,
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स0 स0),
सभी प्रबंधक निदेशक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0,
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0 स0),
बिहार।

विषय: **सहकारी/ स्वाबलम्बी/ दुग्ध उत्पादक समितियों के मतदाता सूची के प्रकाशन और निर्वाचन कार्यक्रम के विभिन्न प्रक्रमों की सूचनाओं को प्राधिकार के वेबसाईट http://bsea.bihar.gov.in/ पर प्रविष्टि करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना द्वारा राज्य के विभिन्न सहकारी समितियों यथा- प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स), व्यापार मंडल, प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी समिति, ईख क्रय-विक्रय सहकारी संघ, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक,, क्रेडिट सोसायटी, हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति/ संघ, प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समिति/ संघ एवं अन्य प्रकार की समितियों का निर्वाचन कराया जाता है। निर्वाचन देय समितियों का प्रस्ताव सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए विभिन्न क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्राधिकार कार्यालय को भेजी जाती है। तत्पश्चात् प्राधिकार द्वारा संबंधित निर्वाचन देय समितियों के निर्वाचन के लिए **मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्यक्रम** निर्गत किया किया जाता है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची प्रकाशन के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए निर्धारित तिथि को **मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन निर्वाचन पदाधिकारी** द्वारा किया जाता है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना प्राधिकार कार्यालय को प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्राधिकार कार्यालय द्वारा संबंधित समितियों के निर्वाचन से संबंधित **निर्वाचन कार्यक्रम अर्थात् नामांकन, मतदान एवं मतगणना का कार्यक्रम** प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त सभी सहकारी समितियों का निर्वाचन क्षेत्रीय पदाधिकारियों के सहयोग से ही सम्पन्न कराया जाता है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों का बहुमूल्य योगदान होता है।

उक्त के संबंध में यह भी कहना है कि प्राधिकार द्वारा ऑफलाईन निर्वाचन प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन निर्वाचन प्रस्ताव उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। अतएव इस संबंध में निर्वाचन देय समितियों की सूची प्राधिकार को भेजे जाने के समय संबंधित पदाधिकारी आवश्वस्त हो लें कि ऑफलाईन उपलब्ध कराये गये निर्वाचन प्रस्ताव ऑनलाईन भी प्राधिकार को उपलब्ध करा दिया गया है। ऑफलाईन निर्वाचन प्रस्ताव तभी मान्य होंगे, जब ये ऑनलाईन भी उपलब्ध करा दिये गये हों। तभी संबंधित समिति के निर्वाचन हेतु प्राधिकार स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

2) अब तक क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन के निमित्त विभिन्न प्रक्रमों से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं यथा–मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना, निर्वाचन के सविरोध/ निर्विरोध तथा मतदान स्थगित होने संबंधी सूचना अथवा अन्य सूचना को ई-मेल/ हार्ड कॉपी के माध्यम से प्राधिकार को प्रेषित की जाती रही है। चूँकि ये सूचनायें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिनके अभाव में या देरी से प्राप्त होने के करण निर्वाचन के आगे का प्रक्रम प्रभावित होता है। उदाहरणस्वरूप मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना ससमय प्राप्त नहीं होने के कारण प्राधिकार द्वारा मतदान कार्यक्रम को निर्गत करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अलावे इसके संवीक्षा के पश्चात् मतदान कराये जाने की स्थिति (सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित) का ससमय जानकारी प्राप्त नहीं हो पाने के कारण जिला स्तर पर निर्वाचन संबंधी राशि का ससमय आवंटन देने में प्राधिकार को कठिनाई होता है।

3) सूचनायें ससमय प्राधिकार में प्राप्त हो, समय-श्रम की बचत हो, पारदर्शिता बनी रहे एवं मतदाताओं को भी चयनित अभ्यर्थियों की सूचना तथा अद्यतन मतदाता सूची की जानकारी हो, चुनाव प्रगति का संबंधित पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रक्रम पर पर्यवेक्षण (Monitoring) तथा समीक्षा की जा सके, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकार कार्यालय द्वारा नया वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ बनाया गया है। निर्वाचन संबंधी सूचनाओं को प्राधिकार के वेबसाइट पर विभिन्न चरणों में निम्न प्रकार से प्रविष्टि किया जाना है :-

क्र०	निर्वाचन प्रक्रम	सूचना देने वाले पदाधिकारी	वेबसाइट पर दी जाने वाली सूचना
i	**निर्वाचन देय समितियों का नाम/ सूची प्राधिकार को प्रेषित किया जाना**	राज्य स्तर के समितियों के लिए निबंधक (स० स०), क्षेत्रीय स्तर के समितियों के लिए संयुक्त निबंधक (स० स०)/ जिला सहकारिता पदाधिकारी/ दुग्ध समितियों के मामले में संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक एवं प्रबंध निदेशक, कम्फेड के लॉगिन द्वारा	लॉगिन करने के उपरांत नये समिति का नाम जोड़ना तथा निर्वाचन देय समितियों का नाम निर्धारित अवधि में ऑनलाईन माध्यम से प्राधिकार को भेजा जाना
ii	संबंधित समितियों के निर्वाचन हेतु **मतदाता सूची प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान**	राज्य स्तर के समितियों के लिए निबंधक (स० स०), क्षेत्रीय स्तर के समितियों के लिए संयुक्त निबंधक (स० स०)/ जिला सहकारिता पदाधिकारी/ दुग्ध समितियों के मामले में संबंधित संघ के प्रबंध निदेशक के लॉगिन द्वारा	**संबंधित समितियों की सदस्यता सूची तैयार कर निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराये जाने के तुरंत पश्चात्** सदस्यता सूची निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं, की सूचना (केवल हाँ अथवा नहीं में)
iii	संबंधित समितियों के निर्वाचन हेतु **मतदाता सूची प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान**	निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) -सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी अथवा कुछ मामलों में संबंधित अन्य निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) के लॉगिन द्वारा	1. **मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किये जाने के तुरंत पश्चात् प्रारूप प्रकाशन** हुआ अथवा नहीं, की सूचना (केवल हाँ अथवा नहीं में) 2. **मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किये जाने के तुरंत पश्चात् अंतिम प्रकाशन** हुआ अथवा नहीं, की सूचना (केवल हाँ अथवा नहीं में, मतदाताओं की संख्या एवं प्रखंड मुख्यालय से समिति की अनुमानित दूरी)

क्र०	निर्वाचन प्रक्रम	सूचना देने वाले पदाधिकारी	वेबसाइट पर दी जाने वाली सूचना
संबंधित समितियों के मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकार द्वारा नामांकन, संवीक्षा, मतदान एवं मतगणना हेतु निर्वाचन कार्यक्रम निर्गत किया जाता है			
iv	संबंधित समितियों के लिए नामांकन, संवीक्षा, मतदान एवं मतगणना हेतु **निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान**	निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी अथवा कुछ मामलों में संबंधित अन्य निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) के लॉगिन द्वारा	1. **प्रपत्र- ई० 1 में सूचना प्रकाशन किये जाने के तुरंत पश्चात्** सूचना का प्रकाशन हुआ अथवा नहीं (केवल हाँ अथवा नहीं में) 2. **संवीक्षा की तिथि के तुरंत पश्चात्** निर्वाचन की स्थिति (सविरोध, निर्विरोध, मतदान स्थगित एवं मतदाताओं की संख्या) की सूचना
v	निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान **मतदान के दिन**	तथैव	**मतदान के दिन ही समय-समय पर** मतों की संख्या की सूचना (मतदान प्रतिशत)
vi	निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान **मतगणना के पश्चात्**	तथैव	1. **मतगणना के तुरंत पश्चात्** सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना को प्रविष्टि किया जाना (ई० 18). तत्पश्चात् प्रविष्टि किये गये ई० 18 प्रपत्र को डाउनलोड कर हस्ताक्षर के साथ प्राधिकार के ई-मेल पर भेजा जाना 2. **मतगणना के एक सप्ताह के अंदर** समितियों की अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात् का), जिसपर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है, को अपलोड किया जाना।

4) इस प्रकार सूचनाओं को प्राधिकार के वेबसाईट पर प्रविष्टि हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिनके अधीन संबंधित समिति काम कर रही है तथा निर्वाचन पदाधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्राधिकार के वेबसाईट पर सूचनाओं की प्रविष्टि की प्रक्रिया अत्यंत सरल है, इससे संबंधित पदाधिकारी तथा प्राधिकार को भी कार्य में आसानी होगी। सूचनाओं की प्रविष्टि के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य संबंधित पदाधिकारी (जैसे-जिला पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी) भी अपने लॉगिन के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रम के उपरोक्त विभिन्न सूचनाओं को अपने डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। यह सूचना निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न अवधियों में दिया जाना है। लेकिन प्रायः देखा जा रहा है कि संबंधित पदाधिकारियों द्वारा अपेक्षित भूमिका का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण प्राधिकार को सहकारी समितियों के निर्वाचन संचालन में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त सूचनायें ससमय प्राधिकार एवं संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त हो इसके लिए प्राधिकार अत्यंत गंभीर है। इसका उल्लंघन करने पर प्राधिकार संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई हेतु विवश होगा। ये व्यवस्थाएँ सभी प्रकार के सहकारी/ स्वाबलम्बी/ दुग्ध उत्पादक समितियों के निर्वाचन पर लागू हैं।

अतः अनुरोध है कि निर्वाचन के दौरान उपरोक्त सभी प्रक्रमों (निर्वाचन देय समितियों की सूची प्राधिकार को भेजने से लेकर मतगणना के पश्चात् मतदाता सूची को अपलोड करने तक) के दौरान सूचनाओं की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निश्चित रूप से की जाय। प्राधिकार कार्यालय द्वारा अक्तूबर, 2019 (पैक्स निर्वाचन, 2019)

से नया वेबसाइट http://bsea.bihar.gov.in/ बनाया गया है। अर्थात इस अवधि के बाद प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी पत्र/ अधिसूचना, जिसकी प्रविष्टि वेबसाइट पर की जानी थी, प्राधिकार के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वेबसाइट पर प्रविष्टि किस प्रकार किया जाना है, इससे संबंधित दिशा-निर्देश पूर्व में भी उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसे पुनः पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। अलावे इसके वेबसाइट पर लॉगिन करने हेतु यूजरनेम तथा पासवर्ड पूर्व में भी उपलब्ध कराया जा चुका है। फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर या निम्न Whatsapp नम्बर पर भी मैसेज किया जा सकता है :-

श्री अमित अमन – 9507066220

श्री राहुल कुमार – 9334272531

विश्वासभाजन,

02.3.21

अनुलग्नकः यथोक्त।

(रंजना कुमारी)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 530 /पटना, दिनांक : 03/03/2021

प्रतिलिपि : सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी सहकारिता विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को प्राधिकार के उक्त निदेशों के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश देने की कृपा की जाय।

02.3.21

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 530 /पटना, दिनांक : 03/03/2021

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), बिहार/ सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधीन प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को प्राधिकार के उक्त निदेशों के अनुपालन हेतु समुचित निर्देश देने की कृपा की जाय।

02.3.21

संयुक्त सचिव

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, बेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in/ ई-मेल : **bseapatna@gmail.com**

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्वाचन देय समितियों का निर्वाचन प्रस्ताव भेजे जाने से लेकर समितियों की मतगणना के पश्चात मतदाता सूची को अपलोड किये जाने तक विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना/ की जाने वाली प्रविष्टि सम्बन्धी दिशा निर्देश :-

क्र०	उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना/ की जाने वाली प्रविष्टि	पृष्ट
i	**निबंधक (सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना)/ संयुक्त निबंधक (सहयोग समितियाँ, बिहार)/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, दुग्ध उत्पादक संघों के प्रबंध निदेशक एवं अन्य ऐसे पदाधिकारी, जिनके द्वारा** सहकारी समितियों का निर्वाचन प्रस्ताव प्राधिकार कार्यालय को भेजा जाता है, के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सहकारी/ स्वाबलम्बी/ दुग्ध उत्पादक समितियों का निर्वाचन प्रस्ताव प्राधिकार के नये वेबसाइट पर भेजा जाना, वेबसाइट पर उपलब्ध समितियों का डेटाबेस देखना एवं उसमें परिवर्तन करना एवं जिस समिति का डेटाबेस उपलब्ध नहीं है, उसका नाम तथा अन्य सूचनाओं को जोड़ने से सम्बंधित निर्देश	2-7
ii	**मतदाता सूची प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान : निर्वाचन प्रस्ताव भेजे जाने वाले पदाधिकारियों द्वारा** सदस्यता सूची तैयार कर निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया अथवा नहीं, से सम्बंधित प्राधिकार को दी जाने वाली सूचना से सम्बंधित निर्देश	8
iii	**मतदाता सूची प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान : निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा** वेबसाइट पर प्रविष्ट की जाने वाली सूचना यथा - मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया अथवा नहीं, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है अथवा नहीं, से सम्बंधित निर्देश	8-9
iv	**निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान : निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा** वेबसाइट पर प्रविष्ट की जाने वाली सूचना यथा - ई० 1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं, संवीक्षा के पश्चात सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्याओं की सूचना प्रविष्ट किये जाने से सम्बंधित निर्देश	10-11
v	**मतदान के दिन की सूचना : निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा** वेबसाइट पर मतदान के दिन मतों की संख्या को प्रविष्ट किये जाने से सम्बंधित निर्देश	11-12
vi	**मतगणना के तुरंत पश्चात : निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा** वेबसाइट पर सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों (ई० 18) की सूचना प्रविष्ट किये जाने से सम्बंधित निर्देश	12-13
vii	**मतगणना के पश्चात : निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा** वेबसाइट पर मतगणना के एक सप्ताह के अंदर अंतिम मतदाता सूची (अध्यतनीकरण के पश्चात का) को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने, डैशबोर्ड देखे जाने एवं अन्य सम्बंधित निर्देश	13-16

1. वैसे पदाधिकारी जो निर्वाचन प्रस्ताव प्राधिकार कार्यालय को भेजते हैं, वे अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र में प्राधिकार का वेब एड्रेस http://bsea.bihar.gov.in/ टाइप कर वेबसाइट का पेज खोलें. वेबपेज के बेहतर व्यू के लिए 80 से 90 प्रतिशत का ज़ूम रखें. इसके लिए अपने कीबोर्ड का Ctrl बटन को दबाते हुए माउस को स्क्रॉल कर सकते हैं
2. लॉग इन करने हेतु "Login" पर क्लिक करें.

3. प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अपना युजर नेम, पासवर्ड तथा Captcha टाइप करें.

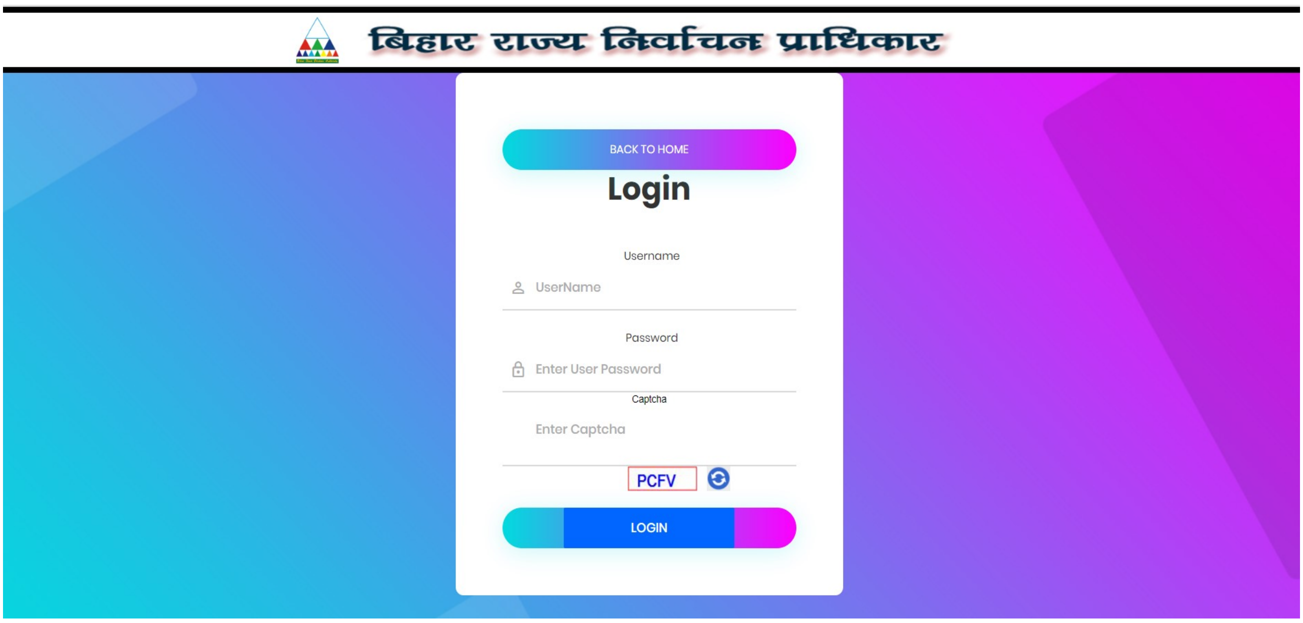

4. यदि वेबसाइट पर पहली बार लॉग इन किया जा रहा है तो लॉग इन करते ही Change Password का ऑप्शन आएगा, इसके माध्यम से अपना पासवर्ड बदल लें.

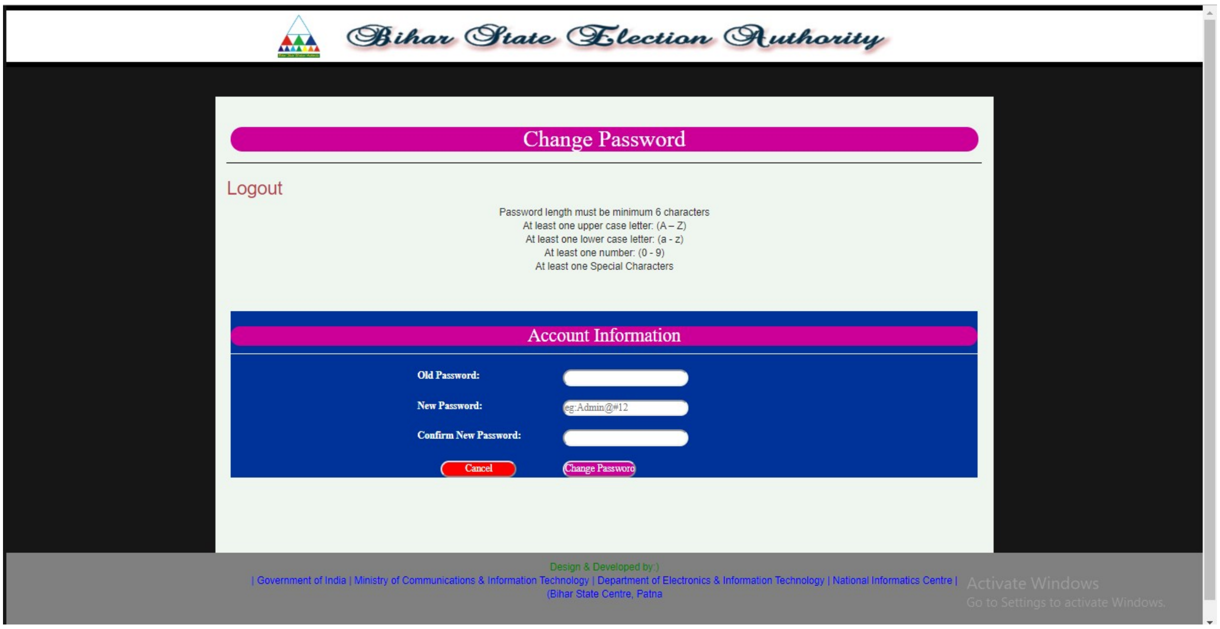

5. लॉग इन करने के उपरांत वेबपेज पर निम्न प्रकार का पेज दिखेगा (यह कैमूर जिला का उदाहरण है) यह वेबसाइट का डैशबोर्ड वेबपेज है.
6. वेबसाइट सर्वर पर पूर्व से उपलब्ध समितियों का नाम देखने तथा वैसे समिति जिसकी सूचना वेबसाइट सर्वर पर उपलब्ध नहीं, की विवरणी (डेटाबेस) को जोड़ने के लिए **"समितियों से सम्बंधित सूचनायें में देखें अथवा जोड़े"** पर क्लिक करें.

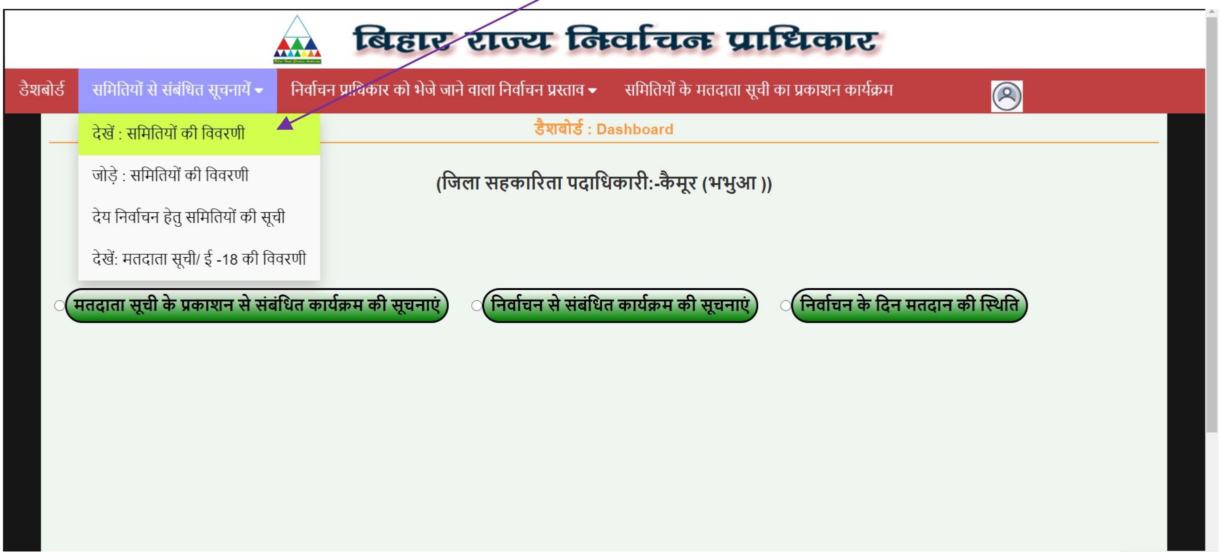

<u>वेबसाइट सर्वर पर पूर्व से उपलब्ध समितियों की विवरणी</u>

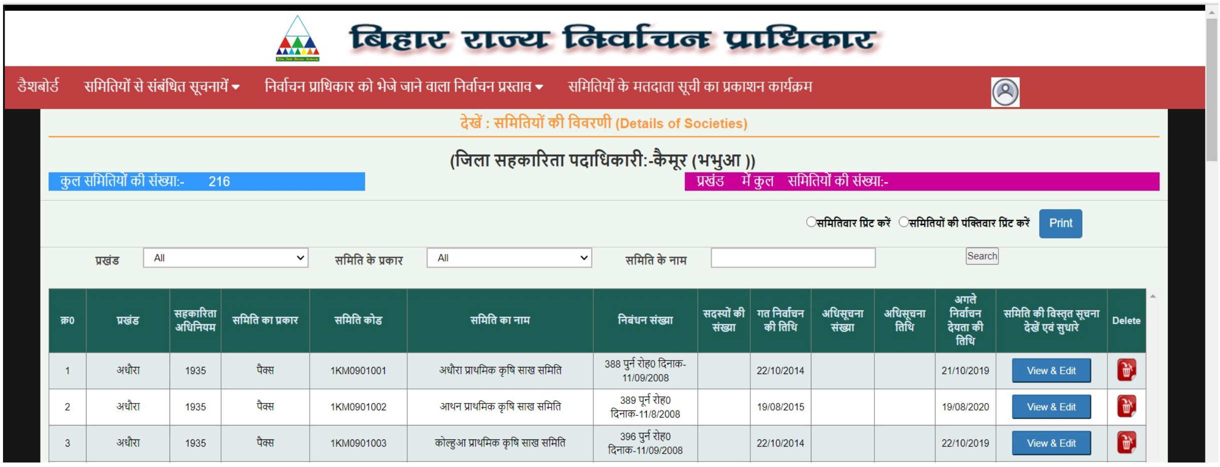

- "View & Edit" पर क्लिक करने के उपरांत एक अन्य वेबपेज खुलेगा. इस वेबपेज पर वर्णित समितियों की सूचना को देख कर जांच लें, यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे सुधार लें. सुधार कर "Update" पर क्लिक करें. साथ ही सम्बंधित पदाधिकारी यह भी जांच लें (नाम एवं निबंधन संख्या द्वारा) कि वेबसाइट पर उनके क्षेत्राधीन वाले एक ही समिति का नाम एक से अधिक बार तो प्रविष्ट नहीं है. इस स्थिति में डुप्लीकेट एंट्री को डिलीट कर लें. यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि वैसी समिति जिसका डुप्लीकेट नाम है और प्राधिकार के वेबसाइट तैयार होने के पश्चात अर्थात अक्टूबर, 2019 के पश्चात उस समिति का निर्वाचन हो चुका है, तो वैसी स्थिति में डुप्लीकेट नाम को स्वयं Delete न करें बल्कि समिति नाम, समिति कोड, निबंधन संख्या, गत निर्वाचन तिथि एवं निर्वाचन हेतु निर्गत प्राधिकार की अधिसूचना संख्या के साथ विवरणी को प्राधिकार के ईमेल bseapatna@gmail.com पर भेज दें.

<u>वेबसाइट सर्वर पर अनुपलब्ध समितियों की विवरणी (डेटाबेस) जोड़े जाने संबंधी वेबफॉर्म</u>

(समिति का नाम हिंदी में टाइप होगा, उदहारणस्वरूप किसी समिति का नाम "कुदरा मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड" है तो समिति का नाम अंग्रेजी में "kudra" टाइप कर स्पेस-की दबायेंगे, कंप्यूटर द्वारा "कुदरा" नाम स्वत: हिंदी में ले लिया जाएगा (अच्छे इंटरनेट स्पीड की आवश्यकता है, अन्यथा हिंदी में टाइप करने के लिए Google Hindi Input Tools को डाउनलोड कर कंप्यूटर में इनस्टॉल कर लें) यदि नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते है, तो कीबोर्ड का बैकस्पेस-की दबायें. समितियों के अंक से संबंधित कोई सूचना यथा सम्पर्क नम्बर, पोस्टल पिन कोड आदि को अंग्रेजी नम्बर में टाइप करें. उदहारण के लिए कुदरा का पोस्टल कोड 821101 टाइप करें नाकि ८२११०१.

7. वैसी समिति जिसका निर्वाचन देय है और निर्वाचन प्रस्ताव प्राधिकार को भेजा जाना है तो निर्वाचन प्रस्ताव भेजे जाने के लिए **निर्वाचन प्राधिकार को भेजे जाने वाला निर्वाचन प्रस्ताव** के **निर्वाचन देय समितियों का नाम शामिल करें** पर क्लिक कर सहकारिता अधिनियम, समिति का प्रकार, प्रखंड का नाम चयन करें.

8. समितियों की सूची से वैसी समिति जिसका निर्वाचन प्रस्ताव प्राधिकार को भेजा जाना है, उसका नाम चयन कर “Add” पर क्लिक करें. समिति का नाम चयन करने के लिए समिति के नाम के बायीं ओर चेक बॉक्स पर क्लिक करें. “View & Edit” पर क्लिक कर समिति के नाम/ विवरणी (डेटाबेस) को देखा और परिवर्तन किया जा सकता है.

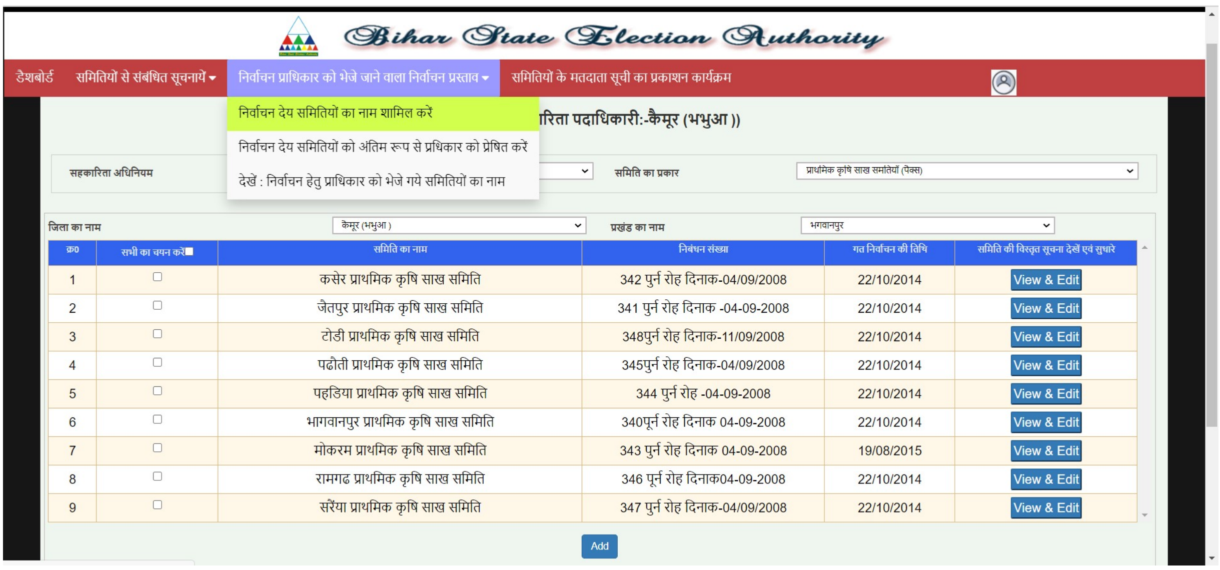

9. उदाहरणस्वरूप निर्वाचन प्रस्ताव भेजे जाने वाले दो समितियों का नाम जोड़ा गया जो नीचे टेबल दिखाई दे रहा है. प्रतिवेदन की अवधि (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौमाही), निर्वाचन प्रस्ताव भेजे जाने के लिए राशि से सम्बंधित विवरणी, निर्वाचन कराये जाने वाले पद का नाम चयन कर “Save” पर क्लिक करें.
(प्रविष्टि से सम्बंधित सुविधा के लिए पहले अलग - अलग प्रखंडों की समितियों का नाम नीचे टेबल में जोड़ लें, उसके बाद बैंक से सम्बंधित विवरणी को भरें)

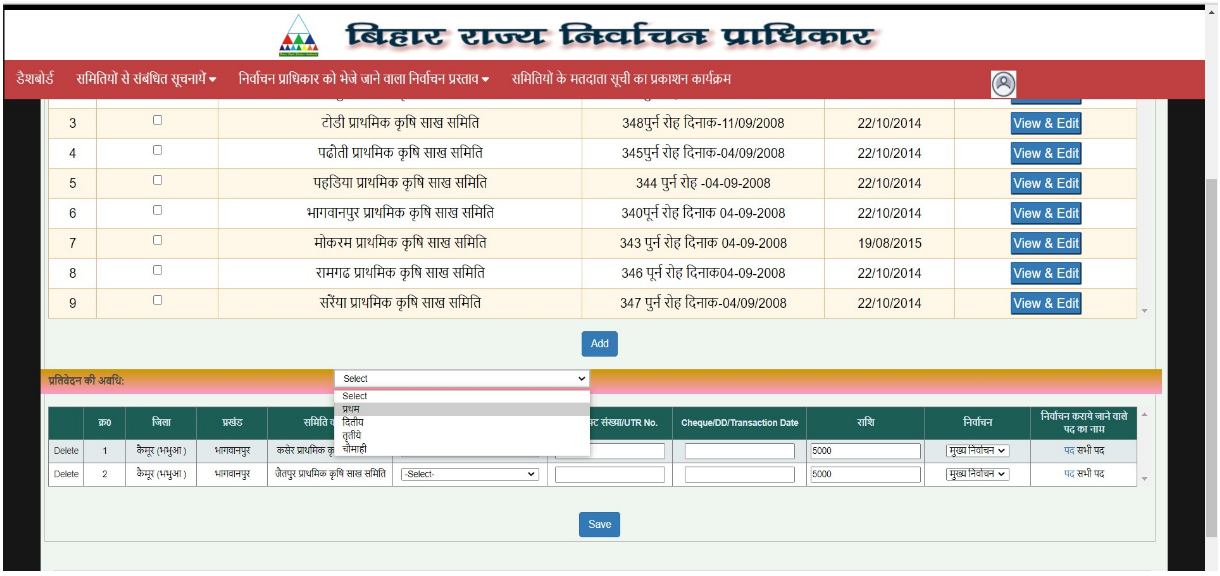

10. यह ध्यान देने योग्य है कि “Save” पर क्लिक करने के उपरांत अब तक निर्वाचन प्रस्ताव प्राधिकार के पास नहीं जा सका है बल्कि यह निर्वाचन प्रस्ताव भेजे जाने वाले पदाधिकारी के वेबसाइट अकाउंट (यूजर अकाउंट) में ही सुरक्षित (Save) है. अंतिम रूप से प्राधिकार को भेजने के लिए “**निर्वाचन देय समितियों को अंतिम रूप से प्राधिकार को प्रेषित करें**” पर क्लिक करें. इस प्रक्रम पर किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर समिति का नाम टेबल के “Delete icon” पर क्लिक कर हटायें अन्यथा “Submit” बटन पर क्लिक कर प्राधिकार को भेज दें.

11. जिन निर्वाचन देय समितियों का नाम अब तक प्राधिकार को ऑनलाइन भेजा जा चुका है, उसे देखने के लिए “**देखें : निर्वाचन हेतु प्राधिकार को भेजे गये समितियों का नाम**” पर क्लिक कर देखा जा सकता है.

(दुग्ध उत्पादक समितियों/ संघों के मामले में सम्बंधित संघ के प्रबंध निदेशक निर्वाचन देय समितियों/ संघों का निर्वाचन प्रस्ताव ऑनलाइन माध्यम से प्रबंध निदेशक, COMFED, पटना को भेजेंगे तत्पश्चात प्रबंध निदेशक, COMFED, पटना अपने लॉग इन के माध्यम से जांचोपरांत उन समितियों/ संघों का निर्वाचन प्रस्ताव प्राधिकार को भेज सकेंगे)

12. निर्वाचन देय समितियों का नाम प्राधिकार के पास प्राप्त हो जाने के पश्चात जांचोपरांत सभी औपचारिकताओं को पूरा कर प्राधिकार द्वारा सम्बंधित निर्वाचन देय समितियों के लिए “**मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम**” निर्गत किया जाता है, जिसकी सूचना सभी संबधित पदाधिकारियों को पत्राचार कर अथवा ईमेल के माध्यम से दी जाती है (भविष्य में प्राधिकार द्वारा ये सूचनायें SMS Alert के माध्यम से भी सम्बंधित पदाधिकारियों के भेजे जाने की योजना है)

प्रकाशित **मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम** को देखने के लिए “**समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम**” पर क्लिक करें.

मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान सम्बंधित समितियों की सदस्यता सूची तैयार कर निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है. **उपलब्ध कराये जाने के तुरंत बाद** सदस्यता सूची उपलब्ध कराये जाने संबंधी सूचना प्राधिकार कार्यालय को दी जाती है. यह महत्वपूर्ण सूचना होती है. वेबसाइट पर यह सूचना केवल हाँ अथवा नहीं में दिया जाना है. सूचना देने के लिए प्राधिकार द्वारा निर्गत कार्यक्रम सूची के सामने "View" पर क्लिक करें. समितियों के सामने अंकित हाँ अथवा नहीं का चयन कर "Submit" पर क्लिक करें.

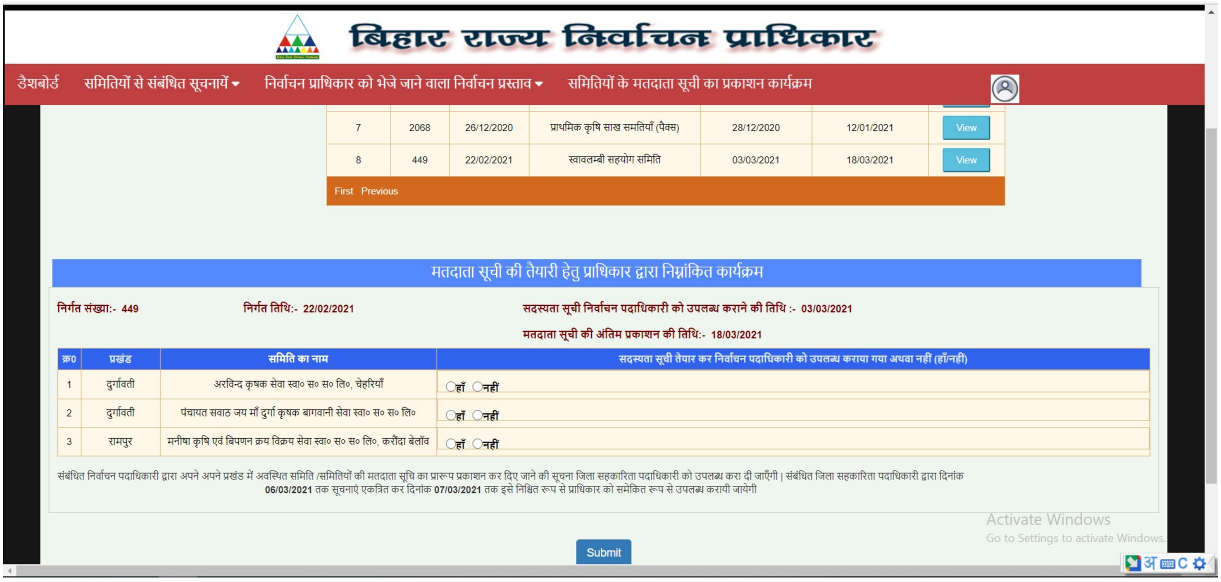

- उपरोक्त प्रक्रम के बाद **निर्वाचन पदाधिकारी** द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्राधिकार को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किये जाने की सूचना, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन किये जाने की सूचना, ई० 1 में सूचना के प्रकाशन की सूचना, संवीक्षा के पश्चात सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या, मतदान के दिन मतों की संख्या, मतगणना के पश्चात सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों (ई० 18) की सूचना प्रविष्ट की जाती है. अलावे इसके अध्यतनीकरण के पश्चात अंतिम मतदाता सूची को भी **निर्वाचन पदाधिकारी** के लॉग इन द्वारा ही प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है. उपरोक्त सभी सूचनायें निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग अवधियों में दी जाती है.

<u>निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से दी जाने वाली सूचना :-</u>

मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान सम्बंधित समितियों की सदस्यता सूची निर्वाचन पदाधिकारी को प्राप्त हो जाने के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन किया जाता है. प्रकाशन हुआ अथवा नहीं, इसकी सूचना तुरंत प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉग इन कर केवल हाँ अथवा नहीं का चयन कर दी जाती है. कुछ दिनों बाद **निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किये जाने के तुरंत पश्चात**, इसकी भी सूचना हाँ अथवा नहीं का चयन कर प्राधिकार के वेबसाइट पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिया जाता है.

1. चूँकि यहाँ तक **मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम** का प्रक्रम चल रहा है, अतएव इससे सम्बंधित सूचना की प्रविष्टि करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी अपने यूजर नेम तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर **"समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम"** पर क्लिक करें. तत्पश्चात सम्बंधित समिति, जिसकी सूचना दी जानी है, उससे सम्बंधित निर्गत पत्र संख्या के सामने "View" पर क्लिक करें.

नीचे टेबल में अंकित समितियों के नाम के सामने हाँ अथवा नहीं का चयन कर, मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी की सूचना को प्रविष्ट कर "Submit" पर क्लिक करें.

2. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किये जाने एवं इसकी सूचना प्राधिकार को प्राप्त हो जाने के पश्चात प्राधिकार कार्यालय द्वारा उन्हीं समितियों के लिए नामांकन, मतदान, मतगणना आदि हेतु "**निर्वाचन कार्यक्रम निर्गत**" किया जाता है. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र ई० 1 में सूचना का प्रकाशन किया जाता है. सूचना का प्रकाशन हुआ अथवा नहीं, इसकी सूचना प्राधिकार कार्यालय को ऑनलाइन माध्यम से ही दी जाती है. चूँकि यह भी निर्वाचन से सम्बंधित प्रक्रम है, अतएव "**समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम**" पर क्लिक कर टेबल के अंतर्गत "View" पर क्लिक करें.

3. "View" पर क्लिक करने के पश्चात "**ई० 1 से सम्बंधित सूचनाओं की प्रविष्टि करें**" पर क्लिक करें.

ई० 1 में सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है तो हाँ का चयन करें अन्यथा नहीं का चयन कर अधिकतम पचास शब्दों में कारण टाइप करें तत्पश्चात "**Submit**" पर क्लिक करें.

4. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संवीक्षा की तिथि के **तुरंत पश्चात** निर्वाचन से सम्बंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या संबंधी सूचना प्रविष्ट किया जाता है. सूचना प्रविष्ट करने के लिए **"सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचन संबंधी सूचनाओं की प्रविष्टि करें"** पर क्लिक कर वांछित सूचनाओं को प्रविष्ट कर **Submit** पर क्लिक करें.

5. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा **मतदान के दिन ही विभिन्न अवधियों में** सम्बंधित समिति के मतदाताओं द्वारा दिए गये **मतों की संख्या** को प्रविष्ट किया जाता है, प्रविष्ट करने के लिए **"निर्वाचन के दिन मतदान की सूचना"** पर क्लिक कर टेबल अंतर्गत **"View"** पर क्लिक करें.

6. View पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म के रूप में एक नया विंडो खुलेगा. समिति के नाम के सामने **"निर्वाचन की स्थिति"** से सही विकल्प का चयन करें. विभिन्न अवधियों में मतों (Votes) से सम्बंधित दी जाने वाली सूचना में केवल मतों की संख्या को प्रविष्ट करें, मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वत: ही कर लिया जायेगा. यदि समिति के नाम के सामने **"मतदाताओं की संख्या"** नहीं दिखाई दें तो इसके लिए पहले संवीक्षा की तिथि के बाद दी जाने वाली सूचना यथा "सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की संख्या" से सम्बंधित सूचना को प्रविष्ट करना होगा. **(प्रविष्टि करने से पूर्व मतदान प्रतिशत से सम्बंधित इस विंडो में उल्लिखित निर्देश को अवश्य पढ़ लें)**

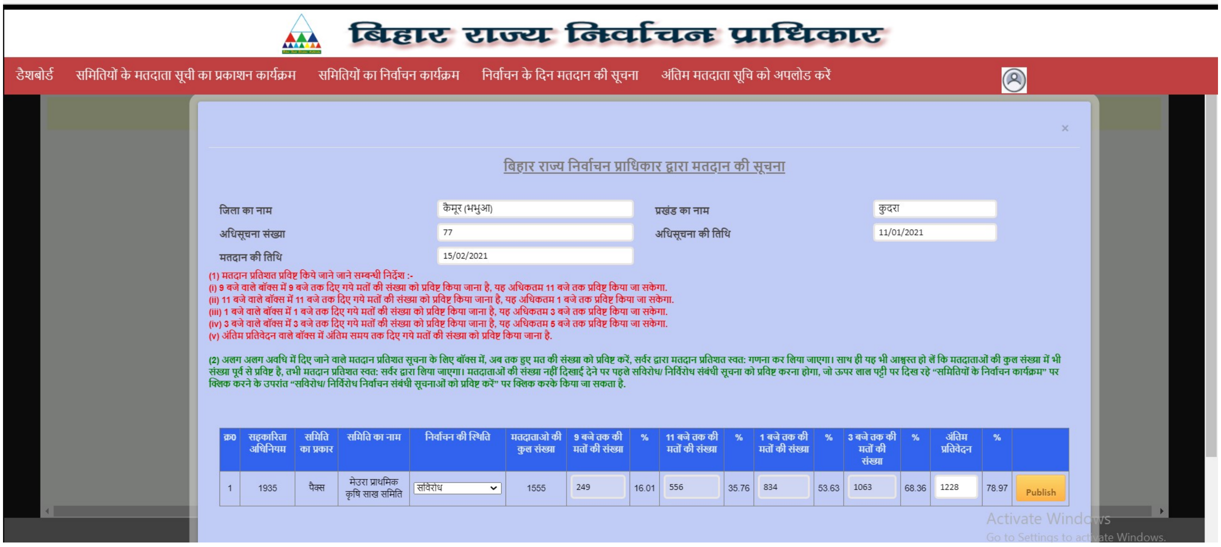

7. **मतगणना के तुरंत पश्चात** सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूचना को प्रविष्ट किया जाना है. चूँकि यह प्रक्रम भी निर्वाचन कार्यक्रम से ही सम्बंधित है, अतएव **"समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम"** पर क्लिक कर टेबल के अंतर्गत **"View"** पर क्लिक करें. तत्पश्चात **"निर्वाचित सदस्यों की सूची (ई० 18) से सम्बंधित सूचनाओं को प्रविष्ट करें"** पर क्लिक करें.

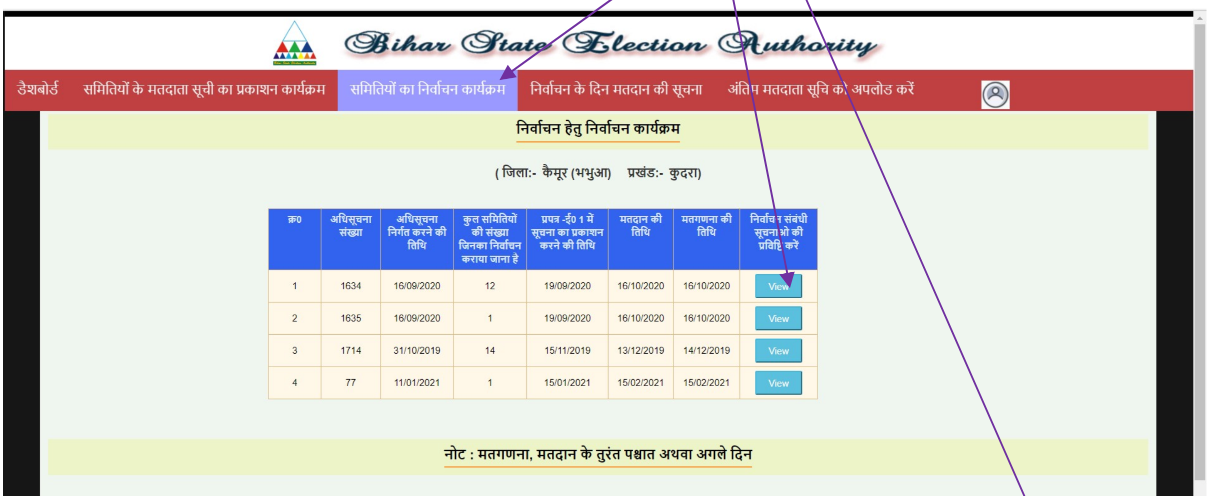

क्लिक करने के उपरांत एक नया वेबपेज खुलेगा, ई० 18 से सम्बंधित सूचनाओं को प्रविष्ट करने के लिए समिति के नाम के सामने **"View"** पर क्लिक करें.

ई० 18 संबंधी सूचना भरने के लिए फॉर्म के रूप में एक नया विंडो खुलेगा. कृपया इस सूचना को सावधानीपूर्वक भर कर **"Submit"** पर क्लिक करें ("Submit" करने से पूर्व भरी गयी सूचनाओं को एक बार अवश्य मिला लें)

"Submit" करने के पश्चात भरे गये ई० 18 को डाउनलोड कर लें. यह pdf में डाउनलोड होगा. इसका मिलान कर लें. तत्पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर के साथ स्कैन करवाकर (स्कैन ब्लैक एंड वाइट मोड में ही करें) प्राधिकार के ईमेल bseapatna@gmail.com पर **मतगणना के तुरंत पश्चात** दो दिनों के अंदर भेज दें.

8. निर्वाचन की अंतिम प्रक्रिया के रूप में प्राधिकार के वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन के लिए सुरक्षित रखने हेतु **मतगणना के एक सप्ताह के अन्दर** सम्बंधित समितियों के अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात का), जिसपर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है, को अपलोड करना है. अपलोड करने के लिए **"अंतिम मतदाता सूची को अपलोड करें"** पर क्लिक करें.

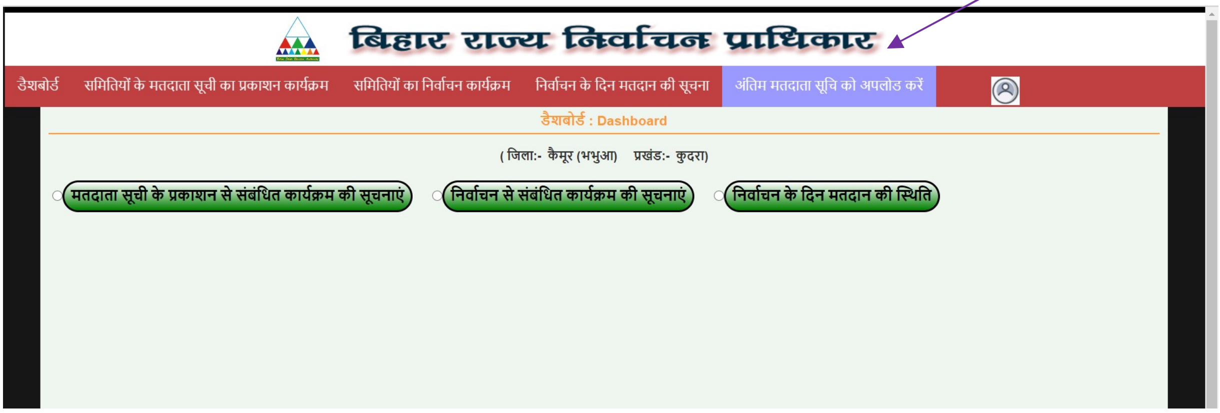

टेबल के अंतर्गत "View" पर क्लिक करें. तत्पश्चात समिति के नाम के सामने ज़रूरी सूचनाओं को भर कर अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात का) के pdf में स्कैन फाइल को अपलोड करें.

- **अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात का) स्कैन करने संबंधी निर्देश :-**

✓ File mode - pdf

✓ Scan Resolution - Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय)

✓ Color mode - Black & White **(रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है)**

✓ File Size - Maximum 20 MB

(यदि कंप्यूटर स्कैनर के अलावा मोबाइल फ़ोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित हो लें की प्रत्येक समिति के लिए स्कैन फाइल साइज़ निर्धारित 20 MB से ज्यादा न हो, इसके लिए पहले एक पृष्ट को स्कैन कर लें उसके बाद उसे कुल पृष्ठों की संख्या से गुणा कर देख लें कि फाइल साइज़ 20 MB से ज्यादा तो नहीं है अन्यथा ऐसी स्थिति में कंप्यूटर स्कैनर का प्रयोग करें अथवा प्राधिकार से सम्पर्क करें)

- **अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात का) अपलोड करने के बाद ही निर्वाचन पदाधिकारी या अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी के डैशबोर्ड में सम्बंधित समिति का निर्वाचन सम्पन्न दिखाई देगा.**

- अब तक निर्वाचन प्रक्रम के अनुसार विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर की गयी प्रविष्टि/ दी गयी सूचनाओं का अनुश्रवण (Monitoring) करने के लिए सम्बंधित सभी पदाधिकारी अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड द्वारा लॉग इन के पश्चात डैशबोर्ड देख सकतें है. डैशबोर्ड देखने के लिए डैशबोर्ड पर क्लिक करें.
- उपरोक्त सूचना मुख्य चुनाव पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं अन्य सम्बंधित पदाधिकारी द्वारा अपने डैशबोर्ड पर देखा और अनुश्रवण (Monitoring) किया जाता है.

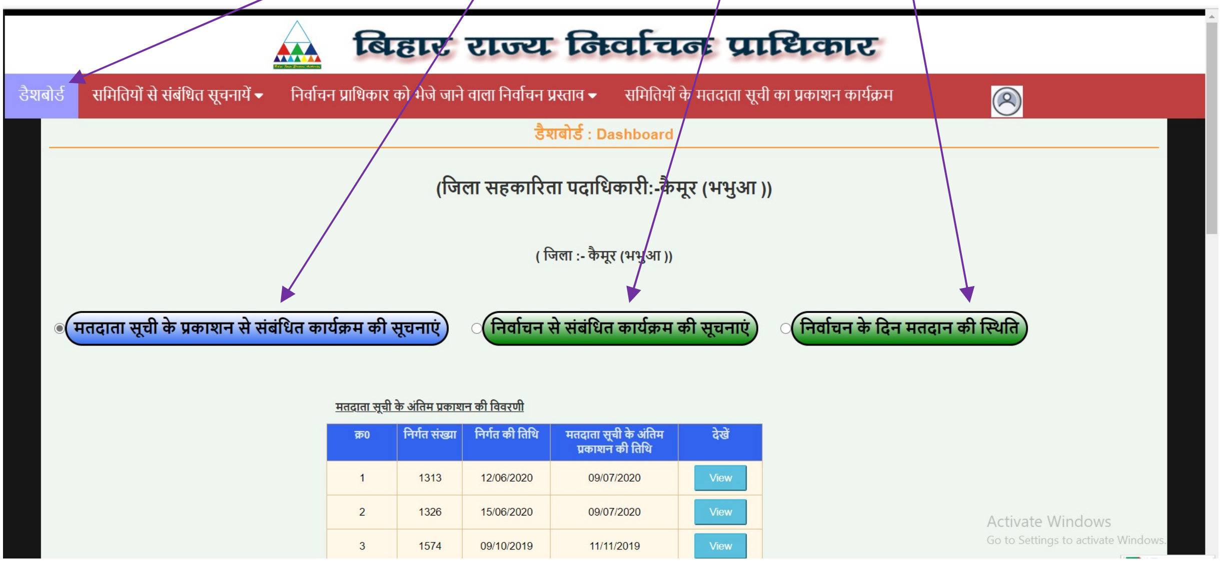

क्र0	निर्गत संख्या	निर्गत की तिथि	मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि	देखें
1	1313	12/06/2020	09/07/2020	View
2	1326	15/06/2020	09/07/2020	View
3	1574	09/10/2019	11/11/2019	View

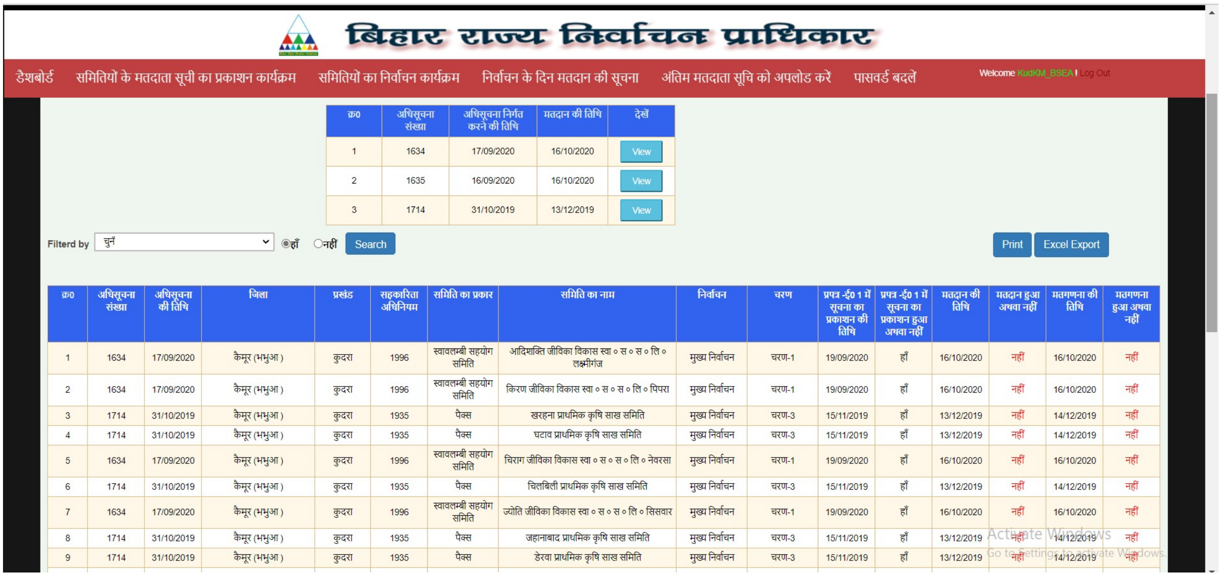

क्र0	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना निर्गत करने की तिथि	मतदान की तिथि	देखें
1	1634	17/09/2020	16/10/2020	View
2	1635	16/09/2020	16/10/2020	View
3	1714	31/10/2019	13/12/2019	View

Filterd by चुनें ◉हाँ ○नहीं Search Print Excel Export

क्र0	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	जिला	प्रखंड	सहकारिता अधिनियम	समिति का प्रकार	समिति का नाम	निर्वाचन	चरण	प्रपत्र -ई0 1 में सूचना का प्रकाशन की तिथि	प्रपत्र -ई0 1 में सूचना का प्रकाशन हुआ अथवा नहीं	मतदान की तिथि	मतदान हुआ अथवा नहीं	मतगणना की तिथि	मतगणना हुआ अथवा नहीं
1	1634	17/09/2020	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	1996	स्वावलम्बी सहयोग समिति	आदिशक्ति जीविका विकास स्वा ० स ० स ० लि ० लक्ष्मीगंज	मुख्य निर्वाचन	चरण-1	19/09/2020	हाँ	16/10/2020	नहीं	16/10/2020	नहीं
2	1634	17/09/2020	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	1996	स्वावलम्बी सहयोग समिति	किरण जीविका विकास स्वा ० स ० स ० लि ० पिपरा	मुख्य निर्वाचन	चरण-1	19/09/2020	हाँ	16/10/2020	नहीं	16/10/2020	नहीं
3	1714	31/10/2019	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	1935	पैक्स	खरहना प्राथमिक कृषि साख समिति	मुख्य निर्वाचन	चरण-3	15/11/2019	हाँ	13/12/2019	नहीं	14/12/2019	नहीं
4	1714	31/10/2019	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	1935	पैक्स	घटाव प्राथमिक कृषि साख समिति	मुख्य निर्वाचन	चरण-3	15/11/2019	हाँ	13/12/2019	नहीं	14/12/2019	नहीं
5	1634	17/09/2020	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	1996	स्वावलम्बी सहयोग समिति	चिराग जीविका विकास स्वा ० स ० स ० लि ० नेवरसा	मुख्य निर्वाचन	चरण-1	19/09/2020	हाँ	16/10/2020	नहीं	16/10/2020	नहीं
6	1714	31/10/2019	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	1935	पैक्स	चिलबिली प्राथमिक कृषि साख समिति	मुख्य निर्वाचन	चरण-3	15/11/2019	हाँ	13/12/2019	नहीं	14/12/2019	नहीं
7	1634	17/09/2020	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	1996	स्वावलम्बी सहयोग समिति	ज्योति जीविका विकास स्वा ० स ० स ० लि ० सिसवार	मुख्य निर्वाचन	चरण-1	19/09/2020	हाँ	16/10/2020	नहीं	16/10/2020	नहीं
8	1714	31/10/2019	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	1935	पैक्स	जहानाबाद प्राथमिक कृषि साख समिति	मुख्य निर्वाचन	चरण-3	15/11/2019	हाँ	13/12/2019	नहीं	14/12/2019	नहीं
9	1714	31/10/2019	कैमूर (भभुआ)	कुदरा	1935	पैक्स	डेरवा प्राथमिक कृषि साख समिति	मुख्य निर्वाचन	चरण-3	15/11/2019	हाँ	13/12/2019	नहीं	14/12/2019	नहीं

- निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की विवरणी (ई० 18) प्रविष्ट किये जाने एवं अद्यतनीकरण के पश्चात की अंतिम मतदाता सूची अपलोड किये जाने के बाद यह पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध हो जाएगा, जिसे वेबसाइट के होमपेज पर देखा जा सकता है.

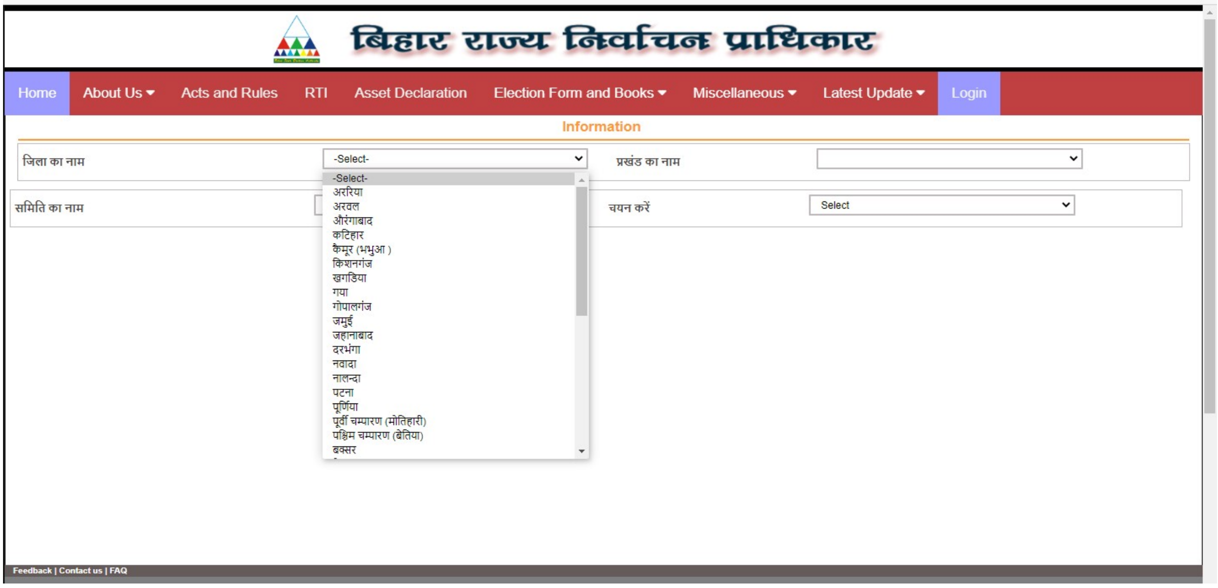

- किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए प्राधिकार के ईमेल bseapatna@gmail.com पर या निम्न whatsapp नम्बर पर भी मैसेज किया जा सकता है :-

श्री अमित अमन - 9507066220

श्री राहुल कुमार - 9334272531

धन्यवाद

****